परिणाम बजट

2015-16

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

विषय सूची

	अध्याय	पृष्ठ सं
	कार्यकारी सारांश	3-6
I	उद्देश्य, लक्ष्य एवं नीति संबंधी विवरण	7-8
II	वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय परिव्यय एवं भौतिक लक्ष्य	9-23
III	नीतिगत पहल	24-26
IV	विगत निष्पादन की समीक्षा	27-34
V	वित्तीय समीक्षा	35
VI	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं स्वायत्तशासी संस्थान	36-39
	अनुबंध - I परिव्यय और परिणामी बजट/लक्ष्यों पर टिप्पणी	40-48
	अनुबंध - II योजना के लक्ष्य एवं उपलब्धियां 2013-14 और 2014-15	49-56

कार्यकारी सारांश

रसायन उद्योग, बढ़ते भारतीय उद्योग का एक अभिन्न अंग है । इसमें मूल रसायन एवं इसके उत्पाद, पेट्रोरसायन, उर्वरक, पेंट्स एवं वार्निश, गैस, साबुन, परफ्यूम एंव टॉयलेटरीज और औषध शामिल हैं । यह उद्योग सभी औद्योगिक क्षेत्रों में सबसे अधिक विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है जिसमें हजारों वाणिज्यिक उत्पाद शामिल हैं ।

पेट्रोरसायन जिसमें प्लास्टिक एवं अन्य रसायन शामिल हैं, पेट्रोरसायन को हाइड्रोकार्बन का डाउनस्ट्रीम उत्पाद कहा जाता है और ये कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस से प्राप्त होते हैं । ये हाइड्रोकार्बन बहूमूल्य संसाधन हैं और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री इनसे प्राप्त होती है । डाउनस्ट्रीम पेट्रोरसायन उत्पाद हमारे दैनिक जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर गए हैं । पेट्रोरसायन श्रृंखला में मूल्य संवर्द्धन संभावना के नए द्वार खोलता है और जरूरत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे वस्त्र एवं परिधान, कृषि, पैकिंग, अवसंरचना, स्वास्थ्य देखरेख, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, बिजली, इलेक्ट्रोनिक्स, दूरसंचार, सिंचाई, पेय जल, निर्माण एवं अन्य उपयोगी क्षेत्रों में तथा विशेष उपयोग के उभरते क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होता है ।

रसायन सेक्टर में तीन पीएसयूज, हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. (एचओसीएल) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि. (एचआईएल) तथा हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि.(एचएफएल) हैं जोकि एचओसीएल की सहायक कंपनी है और पेट्रोरसायन क्षेत्र में एक पीएसयू अर्थात ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पॉलीमर लि. (बीसीपीएल) हैं । इस विभाग के अधीन सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) और इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड्स फार्मूलेशन एंड टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी) नामक स्वायत्त संस्थान हैं ।

विभाग, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एवं उसके बाद महत्वाकांक्षी आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए वर्ष 2015-16 के दौरान कई उल्लेखनीय परियोजनाएँ/योजनाएँ शुरू करने का प्रस्ताव करता है । उनमें से कुछ का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:

I. **<u>पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर):</u>**

इस नीति की संकल्पना है कि पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रो-रसायन क्षेत्र को समेकित व पर्यावरण अनुकूल एकाग्रता अप्रोच के माध्यम से बड़े पैमाने पर संवर्द्धित करना है ।

वर्तमान में, चार तटीय राज्यों गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडीसा एवं तमिलनाडू में पीसीपीआईआर की स्थापना की जा रही है । आंध्र प्रदेश व गुजरात के पीसीपीआईआर प्रस्तावों को फरवरी, 2009 में अनुमोदित किया गया था जबकि ओडिसा व तमिलनाडू के प्रस्तावों को क्रमशः दिसम्बर, 2010 तथा जुलाई, 2012 में अनुमोदित किया गया । नवीनतम समझौता ज्ञापन तमिलनाडू सरकार द्वारा 20 फरवरी, 2014 को हस्ताक्षरित किया गया है । 31.12.2014 तक इन क्षेत्रों में लगभग 1,59,443 करोड़ रु. के मूल्य का निवेश हो चुका है ।

II. **<u>असम गैस क्रैकर परियोजना :</u>**

केंद्र सरकार, अखिल असम छात्र यूनियन (आसू) और अखिल असम गण परिषद (एएजीपी) के बीच 15 अगस्त, 1985 को समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर के अनुसरण में असम गैस क्रैकर परियोजना शुरू की गई थी । आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 18 अप्रैल, 2006 को आयोजित अपनी बैठक में 5460.61 करोड़ रु. की परियोजना लागत पर असम गैस क्रैकर परियोजना की स्थापना को अनुमोदित कर दिया था । संयुक्त उद्यम कंपनी, नामत: मैसर्स ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड (बीसीपीएल) इस परियोजना को क्रियान्वित कर रही है । तथापि, विभिन्न कारणों से परियोजना के समय एवं लागत में वृद्धि हुई । आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने 16 नवंबर, 2011 को 8920 करोड़ रु. ('यथा निर्माण आधार' पर) के संशोधित लागत अनुमान को अनुमोदित किया और संशोधित मैकेनिकल परिपूर्ण की अनुसूचित तिथि जुलाई, 2013 और परियोजना शुरू होने की तिथि दिसम्बर, 2013 निर्धारित की गई थी ।

15 दिसम्बर, 2014 तक की स्थिति के अनुसार, संपूर्ण भौतिक प्रगति 99% एवं संचयी व्यय 8086.79 करोड़ रु. अर्थात 90.66% है । विभाग ने 4690 करोड़ रु. की पूंजी सब्सिडी बीसीपीएल को जारी कर दी है । इसके अतिरिक्त वार्षिक योजना 2015-16

में सरकार द्वारा संशोधित लागत अनुमान-II के अनुमोदन के शर्ताधीन पूंजी/फीडस्टॉक सब्सिडी की मांग करेगी ।

कई इकाइयों में प्रारंभन पूर्व गतिविधियां जारी हैं । चालू वित्तीय वर्ष में इस परियोजना को शुरू करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं । यह परियोजना असम राज्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे डाउनस्ट्रीम उद्योग में उल्लेखनीय रूप से रोजगार सृजन और राजस्व प्राप्त होने की संभावना है ।

III. <u>सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम</u>

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) को रसायनों/मध्यवर्तियों के लिए विनिर्माण क्षमताएं स्थापित करने के उद्देश्य से सरकारी कंपनी के रूप में 12 दिसम्बर, 1960 को विनिगमित किया गया था जो रंजक, रंजक-मध्यवर्तियों, रबड़ रसायनों, पेस्टिसाइड्स, औषधों और भेषजों, लेमिनेट्स आदि के उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं । एचओसीएल द्वारा विर्निमित उत्पादों में फिनाल, एसीटोन, फार्मेलडिहाइड, नाइट्रोबेंजीन, एनीलीन, नाइट्रोटोल्यून, नाइट्रिक एसिड, डाइ-नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड (N_2O_4) और हाइड्रोजन पेरोक्साइड शामिल हैं । एचओसीएल द्वारा प्रयुक्त कच्चे माल में बेंजीन, टोल्यून, एलपीजी, मेथनोल, सीएनजी और सल्फर शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश पेट्रोलियम रिफाइनरियों से आते हैं । एचओसीएल देश में तरल राकेट उड़ान N_2O_4 का एकमात्र विनिर्माता है और इसरो को उपग्रह को आकाश में छोड़ने के लिए उनकी आपूर्ति करता है ।

एचओसीएल की दो इकाइयाँ रसायनी (महाराष्ट्र) और कोच्चि (केरल) में हैं । इसकी मै. हिन्दुस्तान फलूरोकार्बन्स लिमिटेड नामक एक सहायक कंपनी भी है जो रूद्रराम, मेडक, तेलंगाना में स्थित है ।

हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड

हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल), हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी है, जोकि 14.07.1983 को विनिगमित की गई थी । कंपनी

पॉली-टेट्रा फ्लूरो इथाइलीन (पीटीएफई) एवं क्लोरो-डाई-फ्लूरो मिथेन (सीएफएम-22) के विनिर्माण में संलग्न है । पीटीएफई का रसायन, मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रानिक उद्योग में बहुतायत में इस्तेमाल होता है और रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्र में रणनीतिक अनुप्रयोग है ।

हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड

हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल) को डीडीटी के विनिर्माण एवं आपूर्ति के लिए मार्च, 1954 में विनिगमित किया गया था । इस कंपनी ने 1957 में कोचीन के पास उद्योगमंडल में डीडीटी के विनिर्माण हेतु फैक्टरी स्थापित की और 1977 में रसायनी, महाराष्ट्र में मेलाथियान, जो जन स्वास्थ्य हेतु कीटनाशक है, के विनिर्माण हेतु एक संयंत्र स्थापित किया । आज एचआईएल की तीन विनिर्माण इकाइयां केरल में उद्योग मंडल, महाराष्ट्र में रसायनी एवं पंजाब में भटिंडा में अवस्थित हैं ।

iv. <u>ई-शासन</u>

सरकार की ई-शासन की अपेक्षाओं के अनुसार कार्यालय स्वचलीकरण को बढ़ाने और पारदर्शिता में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस विभाग में कार्यालय पद्धति स्वचलीकरण (ओपीए) प्रणाली, वेतन बिल एवं जीपीएफ आदि के लिए व्यापक डीडीओ पैकेज, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम (एफटीएस) एवं लोक शिकायत निपटान और निगरानी प्रणाली (पीजीआरएएमएस) क्रियान्वित की गई है । ई-प्रोक्योरमेंट से संबंधित भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में विभाग द्वारा जारी सभी नोटिस, निविदा आमंत्रण सूचनाओं, को विभाग के बेबसाइट पर अपलोड किया जाता है ।

v. <u>निगरानी:</u>

परिणामी बजट प्रस्तावों की सख्त निगरानी विभाग के स्तर पर की जा रही है । छमाही पुनरीक्षा योजना आयोग द्वारा भी की जाती है ।

***

अध्याय - I

उद्देश्य, लक्ष्य और नीति-संबंधी विवरण

1.1 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग का उद्देश्य है;

i. देश में रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र के विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना; एवं
ii. उद्योग के उपरोक्त वर्णित सेक्टरों के चतुर्दिक विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी का माहौल बनाना ।

1.2 विभाग के प्रमुख लक्ष्य निम्नानुसार हैं:-

i. पेट्रोरसायन क्षेत्र में विनिर्माण एवं निर्यात को संवर्द्धित करने के लिए चार पीसीपीआईआर का विकास ।
ii. असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी) को शीघ्र शुरू करना ।
iii. कुशलता विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) को सुदृढ़ करना ।
iv. इस क्षेत्र में क्लस्टर एप्रोच के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सवर्द्धित करने के लिए प्लास्टिक पार्कों की स्थापना ।

1.3 रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्रों के लाइसेंस मुक्त एवं विनियमित प्रकृति को देखते हुए, योजनागत स्कीमों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र निवेश की संभावना सीमित हैं । सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं स्वायत्त संस्थानों को जारी राशि के अतिरिक्त क्रियान्वित प्रमुख योजनागत स्कीमों में असम गैस क्रैकर परियोजना शामिल है ।

1.4 विभाग के चार प्रमुख प्रभाग - रसायन, पेट्रोरसायन, योजना एवं मूल्यांकन (पीएंडई) तथा सांख्यिकीय एवं निगरानी (एसएंडएम) हैं, जो इसकी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हैं । आंतरिक वित्त प्रभाग (आईएफ) मंत्रालय के तीनों विभागों के लिए एक है ।

राष्ट्रीय पेट्रोरसायन नीति

1.5 भारतीय पेट्रोरसायन सेक्टर में विशाल निवेश आकर्षित करके और तेजी से आगे बढ़कर विश्व में अग्रणी स्थान प्राप्त करने की क्षमता है । सरकार ने वर्ष 2007 में राष्ट्रीय पेट्रोरसायन नीति का अनुमोदन किया जिसका लक्ष्य अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों सेक्टरों में निवेश को बढ़ावा देना, प्रमुख क्षेत्रों में पेट्रोरसायन के उपयोग में वृद्धि करना, पेट्रोरसायन सेक्टर के उभरते क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना, पुन:चक्रीकरण के नवीन तरीकों को अपनाकर और बायो-डिग्रेडेबल पॉलीमर और प्लास्टिक के विकास के माध्यम से पर्यावरण संबंधी सतत विकास प्राप्त करना है ।

महिलाओं/बच्चों व अनुसूचित जाति/जनजाति को लाभ पहुँचाने वाली योजनाएं :

1.6 विभागीय बजट में महिलाओं, बच्चों और/या अ.जा./अ.ज.जा. को लाभ पहुंचाने वाली किसी योजना का अंश नहीं है । विभाग को एससीएसपी (स्पेशल कंपोनेंट सब प्लान) एवं टीएसपी (ट्राइबल सब प्लान) के अधीन योजना परिव्यय चिन्हित करने से छूट प्राप्त है । तथापि, विभाग के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाएँ महिलाओं व अ.जा./अ.ज.जा. को लाभ पहुँचाने वाले कार्यक्रमों में संलग्न हैं । उद्यमिता व कुशलता विकास के संबंध में पेशेवर कला प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से सीपेट अ.जा./अ.ज.जा. व महिला उम्मीदवारों को लाभ पहुँचा रहा है । यह तरीका प्रतिभागियों में समुचित आत्म विश्वास पैदा करने में सफल रहा है और इससे वे प्रचालन स्तर पर उद्योग में कार्य करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं या अपनी आजीविका के लिए अति लघु या कुटीर स्तर का उद्योग शुरू कर सकते हैं । इस प्रकार, ये कार्यक्रम रोजगार और स्वरोजगार सृजित करने में मददगार साबित हो रहे हैं । ये कार्यक्रम स्वसहायता समूह के विकास पर जोर देकर एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक कार्यशक्ति सृजित करके महिलाओं को लाभान्वित कर रहे हैं । इससे बडी संख्या में महिलाएं और अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवार लाभान्वित हुए हैं और वर्ष 2015-16 में भी यह कार्यक्रम जारी रहेंगे ।

***

अध्याय - II

2015-16 के लिए वित्तीय परिव्यय और भौतिक लक्ष्य

2.1 बजट 2015-16 के योजना व योजनेत्तर प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय परिव्ययों और वर्ष के वास्तविक लक्ष्यों को दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध-I में संलग्न है ।

<u>बजट अनुमान 2015-16 गैर-योजना</u>

2.2 इस वर्ष के योजनेत्तर के लिए बजट अनुमान 67.18 करोड़ रु. स्वीकृत किया गया है जिसमें 67.15 करोड़ रु. का राजस्व बजट एवं 0.01 करोड़ रु. (टोकन प्रावधान) पीएसयूज का पूंजीगत ऋण शामिल हैं । राजस्व के अधीन प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय (प्रमुख रूप से सूचना प्रौद्योगिकी कार्यकलापों के लिए), कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस एवं इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड्स फॉर्मूलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी) के लिए है ।

<u>बजट अनुमान 2015-16 योजना</u>

2.3 रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के वर्ष 2015-16 के लिए सकल बजटीय सहायता के रूप में 188 करोड़ रु. का अनुमोदन किया गया है । योजना के मुख्य बिन्दु निम्नांकित हैं :

<u>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम:</u>

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

2.4 एचओसीएल को वर्ष 2014-15 में 0.01 करोड़ रु. का टोकन प्रावधान किया गया था । संयंत्र एवं मशीनरी के उन्नयन के लिए 2015-16 के लिए 17 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है ।

हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड

2.5 एचएफएल ने विशेष पीटीएफई अर्थात संशोधित पीटीएफई के विकास का कार्य शुरू किया है और कंपनी वर्तमान तंत्र में कुछ संशोधनों के साथ इस उत्पाद के विनिर्माण का प्रस्ताव करती हैं । वर्तमान में, संशोधित पीटीएफई का आयात किया जाता है और इसके विविधतापूर्ण उपयोग के कारण बाजार में बहुत अधिक क्षमता है । कंपनी ने निम्नलिखित परियोजनाओं को प्रारंभ करने की योजना बनाई है:

तालिका-I : एचएफएल की परियोजनाएं/स्कीम

क	**नवीकरण योजना**
1	रेफ्रिजरेशन सिस्टम
2	फर्नेस विथ पॉयरोलिसिस कॉइल
3	फ्लूड एनर्जी ग्राइडिंग मिल
4	टीएफई कम्प्रेसर एंड वैक्यूम/जेट पंप
5	सीएफएम कम्प्रेशर एंड एयर कम्प्रेशर
6	इंस्ट्रूमेंटेशन
ख	**नई स्कीमें/परियोजनाएं**
1	हेक्सा फ्लूरो प्रोपिन (एचएफपी) एंड फ्लूरोनेटेड इथाइलीन प्रोपाइलिन (एफईपी) रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स
2	नए रिएक्टर सेट
3	डिबौटेलेनेकिंग ऑफ दि मोनोमर प्लांट
4	पाइलट प्लांट फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट

2.6 इसकी नवीकरण योजना एवं नई पहलों के लिए एचएफएल को वर्ष 2014-15 में 20.50 करोड़ रु. आवंटित किए गए थे । वर्ष 2014-15 के दौरान 20.50 करोड़ रु. में से 16.80 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है और उपरोक्त गतिविधियां पूरा होने के विभिन्न चरणों पर हैं ।

वर्ष 2015-16 के दौरान 5.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है ।

हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड

2.7 वर्ष 2014-15 के दौरान एचआईएल को 15 करोड़ रु. की बजटीय सहायता आवंटित की गई थी और इसे योजनागत ऋण के रूप में जारी किया जाना था ।

2.8 एचआईएल की प्रमुख समस्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डीडीटी के लिए भुगतान में लंबी प्रक्रिया के कारण होने वाले विलंब के कारण तरलता की कमी है । एचआईएल को इसके प्राथमिकता वाले पेंडीमेथालिन परियोजना हेतु वर्ष 2014-15 में 15 करोड़ रु. का योजनागत ऋण आवंटित किया गया था । पेंडीमेथालिन अच्छे निर्यात संभावनाओं के साथ एक हर्बिसाइड है और इसके उत्पादन से एचआईएल को विकास की उच्च संभावनाओं के साथ एक अच्छा तकनीकी आधार प्राप्त होगा । 15 करोड़ रु. की राशि जारी कर दी गई थी ।

2015-16 के दौरान एचआईएल को उद्योगमंडल, केरल में फंगीसाइड के उत्पादन के लिए बहुउत्पाद संयंत्र सुविधा की स्थापना हेतु प्लांट एवं मशीनरी के उन्नयन के लिए 10 करोड़ रु. की राशि अनंतिम रूप से आवंटित की जाती है ।

<u>स्वायत्त संस्थान/संगठन</u>

सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिगं एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट):

2.9 केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) देश में प्लास्टिक और इससे जुड़े उद्योगों के विकास के लिए शैक्षणिक, प्रौद्योगिकी सहायता और अनुसंधान (एटीआर) संबंधी क्रियाकलापों के प्रति समर्पित संस्थान है । यह आईएसओ 9001 : 2008 क्यूएमएस, एनएबीएल, आईएसओ/आईईसी 17020 मान्यता

प्राप्त राष्ट्रीय संस्थान है । सिपेट के देश भर में फैले 23 स्थानों में 16 केन्द्र हैं और चेन्नई में इसका मुख्यालय है ।

2.10 देश में पॉलिमर एवं सहयोगी उद्योग की जरुरतों को पूरा करने के लिए सिपेट के सभी केन्द्र डिजाइन, कैड/कैम/सीईएई, टूलिंग एवं मोल्ड विनिर्माण, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, परीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्र में अत्याधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं मौजूद हैं ।

2.11 सिपेट के शैक्षणिक कार्यक्रम पॉलिमर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डॉक्टोरल, पोस्ट ग्रैजुएट, अंडर ग्रैजुएट, डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र स्तर के साथ साथ रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि पॉलिमर एवं सहयोगी उद्योग में मानव संसाधन की जरुरत पूरी हो सके । 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिपेट ने 1,16,638 छात्रों को विभिन्न दीर्घ अवधि एवं अल्पकालिक कार्यक्रमों एवं कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिये प्रशिक्षित किया है । 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2,20,000 छात्रों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है ।

2.12 ख्यातिप्राप्त राज्य विश्वविद्यालय के साथ गठबंधन/सहयोग से उच्च शिक्षण केन्द्रों में अंडर ग्रैजुएट, पोस्ट ग्रैजुएट एवं डॉक्टोरल कार्यक्रम प्रदान किये जाते हैं । वर्ष 2013-14 के दौरान 11,494 छात्रों को दीर्घकालिक कार्यक्रम में नामांकित किया गया था और वर्ष 2014-15 के दौरान 12,629 छात्रों का नामांकन किया गया जो कि गत वर्ष की तुलना में 10% अधिक है । दीर्घकालिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त संस्थान अत्यंत विशेषीकृत एवं आवश्यकता अनुकूल अल्पावधि कार्यक्रम प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आयोजित करता है ताकि प्लास्टिक एवं सहयोगी उद्योग में तकनीकी जनशक्ति की कुशलता और सक्षमता अद्यतन बनी रहे । वर्ष 2013-14 में विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 28498 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया था । वर्ष 2014-15 के दौरान सिपेट 42,900 प्रतिभागियों को दीर्घावधि एवं अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के जरिये प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध था । इसी तरह वर्ष 2015-16 के दौरान सिपेट 51,500 प्रतिभागियों को दीर्घावधि एवं अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के जरिये प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

2.13 सिपेट विभिन सरकारी विभागों/एजेंसियों जैसे डोनर मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अजा/अजजा. विभाग, अल्पसंख्यक विभाग आदि द्वारा प्रायोजित

प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विभिन प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है ताकि भारत के बेरोजगार/अर्द्धबेरोजगार को लाभ मिल सके ।

2.14 सिपेट डिज़ाइन, टूलींग, प्रोसेसिंग, परीक्षण एवं गुणवत्ता आश्वासन के क्षेत्र में देश एवं विदेश में प्रौद्योगिकी सहयोग सेवाएं प्रदान करता है । सिपेट का जैव-अपघटीय परीक्षण सुविधा देश में अपने तरह का पहला केंद्र है और यह यूरोपियन बायो-प्लास्टिक एवं अंतर्राष्ट्रीय बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट संस्थान के साथ संयुक्त रूप से कार्य कर रहा है ।

2.15 अनुसंधान एवं विकास में आगे बढ़ने के उद्देश्य से सिपेट ने दो एक्सक्लूसिव आरएंडडी विंग्स चेन्नई एवं भुवनेश्वर में स्थापित किया है । एडवान्स्ड रिसर्च स्कूल फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट सिम्युलेशन - एआरएसटीपीएस, चेन्नई ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, मेडिकल एवं पैकेजिंग उद्योग के लिए नवाचार उत्पाद डिज़ाइन, उत्पाद एवं टूल डिज़ाइन कॉन्सेप्टुआलाइज़ेशन, प्रोटोटाइप्स का ई-विनिर्माण, लीड टाइम में कमी के लिए रैपिड प्रोटोटाइपिंग, धातु प्रतिस्थापना के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग और एग्रोनॉमिकल एप्रोच के क्षेत्र में कार्य करता है । लेबोरटरी फॉर एडवांस रिसर्च इन पॉलीमेरिक मेटेरियल (एलएआरपीएम), भुनेश्वर बायोपॉलीमर, ई-वेस्ट पुनःचर्क्रण, पॉलिमर कम्पोज़िट्स एवं नैनो कम्पोसिट्स, ब्लेंड्स एवं एलॉय के चरित्र निधार्रण एवं फ्यूल सेल्स के क्षेत्र में काम करता है । आरएंडडी विंग का मुख्य लक्ष्य उद्योग, भारतीय एवं विदेशी विश्वविद्यालय के साथ आरएंडडी परियोजनाओं में सहयोग प्रदान करके कार्यशील प्रोटोटाइप्स का विकास, इजीनियरिंग समस्याओं का समाधान ढूंढना, पदार्थों, संरचना एवं मैकेनिकल सिस्टम के व्यवहार का माइक्रो विश्लेषण आयोजित करना है ।

2.16 सिपेट ने कई अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ फैकल्टी एवं छात्र विनिमय कार्यक्रम के लिए, द्विपक्षीय आरएंडडी पहल और सहयोगी अनुसंधान परियोजना पर काम करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है । सिपेट ने भारत के क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय प्लास्टिक संघों के साथ बेहतर संवाद स्थापित किया है और प्लास्ट इण्डिया फाउंडेशन का संस्थापक सदस्य है ।

2.17 देश में प्लास्टिक उद्योग की कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सिपेट ने 2011-2022 अवधि के दौरान राष्ट्रीय कौशल विकास पहल के रूप में

6.20 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है । वर्ष 2012-13 में, 10,542 छात्रों को दीर्घकालिक कार्यक्रम के लिए नामांकित किया गया था जो वर्ष 2013-14 में बढ़कर 11,494 छात्र (लगभग 9 प्रतिशत वृद्धि) हो गए हैं ।

2.18 सिपेट के लिए दीर्घावधि एवं नई योजनागत स्कीमों के लिए वर्ष 2014-15 में 102.98 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है । सिपेट के केन्द्रों के विस्तार के लिए सिविल एवं तकनीकी अवसंरचना प्रदान करने, नए एवं मौजूदा शैक्षणिक एवं कुशलता विकास कार्यक्रमों में छात्रों के नामांकन संख्या को बढ़ाने तथा छात्रावास सुविधाओं के सृजन, प्लास्टिक एवं सहयोगी उद्योग को तकनीकी सहयोग सेवा प्रदान करने के लिए सिपेट की क्षमता को सुदृढ़ करने, पर्यावरण अनुकूल प्लास्टिक प्रौद्योगिकी को संवर्द्धित करने के लिए कोच्चि स्थित सेंटर फॉर बायोपॉलीमर सांइस एवं टेक्नोलॉजी(सीबीपीएसटी) की स्थापना एवं अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह आवंटन किया गया है । इससे सृजित अवसंरचना वर्ष 2014-15 के दौरान दीर्घावधि एवं अल्पावधि पाठ्यक्रमों के जरिए कुशलता विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा । तथापि संशोधित अनुमान स्तर पर इसे घटाकर 100.85 करोड़ रु. कर दिया गया है । वर्ष 2015-16 के दौरान सिपेट को 12वीं योजना अवधि में परिकल्पित स्कीमों के क्रियान्वयन को जारी रखने के लिए 92.68 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है ।

इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी) :

2.19 आईपीएफटी वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान ओपीसीडब्ल्यू के लिए 'चिह्नित प्रयोगशाला' बना रहा है । आईपीएफटी 2008 से आईएसओ - 17025 (2005) के अनुसार नेशनल एक्रीडीटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरट्रीस (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है । संस्थान ने कई सारे उपयोगकर्ता एवं पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक फार्मूलेशन विकसित किए हैं और भारतीय कृषि रसायन उद्योग को वाणिज्यक उद्देश्य के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण किया है जिसमें तुर्की की एक कंपनी मैसर्स एन्तासोव को दो प्रौद्योगिकी शामिल हैं । संस्थान पांच आरएंडडी परियोजनाओं जा कि रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा अनुमोदित हैं पर कार्य करने के साथ-साथ ओपीसीडब्ल्यू, डीएसटी एवं डीआरडीओ द्वारा अनुमोदित अनुदान सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर भी कार्य कर रहा है । आईपीएफटी ने जैव-प्रभाविकता, फाइटोटॉक्सिसीटी एवं रेसिडिव एनेलिसिस संबंधी आंकड़ों के सृजन से संबंधित 34

उद्योग प्रायोजित परियोजनाएं वर्ष 2013-14 में सीआईबी/आरसी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए पूरा किया है । सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए शैक्षणिक संस्थानों जैसे आईआईटी, कानपुर, आईएआरआई, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएनएयू) एवं शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसकेयूएएसटी), जम्मू के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया । घरेलू उत्पादों के दीर्घकालीन परीक्षण के लिए मैसर्स इन्डोफिल, गोदरेज एग्रोवेट, नागार्जुन, सल्फर मिल्स एवं मैसर्स लैम्ब्रेटी हाइड्रोकोलाइड्स के साथ गोपनियता समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है । आईपीएफटी ने उद्योग एवं शिक्षा के क्षेत्र से विभिन्न स्टेकधारकों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें तीन विदेशी प्रशिक्षुक(ऑस्ट्रेलिया, तुर्की एवं मिश्र से एक-एक प्रशिक्षु) शामिल हैं । आईपीएफटी ने कीटनाशकों के सुरक्षित एवं उचित उपयोग के बारे में किसानों को जागरुक करने के बारे में कई गतिविधियां आयोजित की हैं । आईपीएफटी को 'फिक्की केमीकल एंड पेट्रोकेमिकल सस्टेनेबिलिटी आवार्ड', इंडिया-केम 2013 के दौरान जोकि गांधी नगर में 24 से 26 अक्टूबर, 2013 को आयेाजित किया गया था में रसायन क्षेत्र में उत्कृष्ट हरित उत्पाद के लिए प्रदान किया गया । आईपीएफटी को वर्ष 2011-12 के दौरान राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य के लिए हिन्दी सलाहाकर समिति की बैठक में भुवनेश्वर में 17 मई, 2013 को पुरस्कृत किया गया । निदेशक, आईपीएफटी को ओपीसीडब्ल्यू के वैज्ञानिक बोर्ड केसदस्य के रूप् में जनवरी, 2014 से तीन वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है ।

2.20 12वीं योजना के अधीन आईपीएफटी को निम्नलिखित अनुमोदित परियोजनाओं के लिए 5 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है :

i. उपयोगकर्त्ता एवं पर्यावरण अनुकूल जल में घुलनशील अति-विषैले दानेदार फॉर्मूलेशन, बहु उपयोगी एवं प्रभावी कीटनाशक का विकास ताकि उनके विषैलेपन को कम किया जा सके और उन्हें प्रतिबंधित होने से बचाया जा सके और उनका उपयोग जारी रहे ।
ii. बैकलोवाइरस का भारी मात्रा में उत्पादन तकनीक एवं फॉर्मूलेशन का विकास ।
iii. समेकित अप्रोच एवं घरेलू तकनीक से दीमक का प्रबंधन ।
iv. गैस/लिक्विड क्रोमोटोग्राफी के साथ मैग्नेटिक कोर सेल नैनोपार्टिकल आधारित एक्सट्रैक्सन-कीटनाशकों के ट्रेस लेवल विश्लेषण के लिए टैंडम मास स्पेक्ट्रोमीटरी ।

v. प्लांट एक्सट्रक्स एवं उनके जैव- प्रभाविकता अध्ययन से पेस्टीसाइड सूत्रयोग ।

2.21 आईपीएफटी को वर्ष 2015-16 के दौरान उपरोक्त गतिविधियों को जारी रखने के लिए एक करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई ।

<u>असम गैस क्रैकर परियोजना</u> :

2.22 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने बीसीपीएल को 4690 करोड़ रु. की संपूर्ण पूंजी सब्सिडी राशि जारी कर दी है जो निम्न प्रकार से है :

तालिका सं.-2

(करोड़ रु. में)

वर्ष	**पूंजी सब्सिडी**
2007-08	37.43
2008-09	100.00
2009-10	316.31
2010-11	808.83
2011-12	875.43
2012-13	1552.00
2013-14	1000.00
योग	**4690.00**

2.23 15 दिसम्बर, 2014 तक की स्थिति के अनुसार, संपूर्ण भौतिक प्रगति 99% और संचयी पूंजी व्यय 8,086 करोड़ रु. अर्थात 90.66% था । रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने बीसीपीएल को 4690 करोड़ रु. की पूंजी सब्सिडी राशि जारी कर दी ।

कई इकाइयों में प्रारंभन पूर्व गतिविधियां जारी हैं । मैकेनिकल परिपूर्णन और संयत्र को शीघ्र शुरू करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं ।

<u>विभागीय योजनाएं :</u>

2.24 वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग की सीपीडीएस, सीडब्ल्यूसी एवं आईटी/सचिवालय स्कीमों तथा पेट्रोरसायन की विभिन्न स्कीमों हेतु 4.90 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है ।

<u>रसायन संवर्द्धन और विकास योजना (सीपीडीएस) :</u>

2.25 रसायन और पेट्रोरसायन के विभिन्न संवर्द्धनकारी क्रियाकलापों को शुरु करने के लिए इस योजना के अन्तर्गत आबंटन 1.90 करोड़ रु. है :-

i. **इंडिया केम** एवं **इंडिया केम गुजरात** समारोह के आयोजन द्वारा रसायन उद्योग का संवर्द्धन । ये समारोह दो वर्ष में एक बार फिक्की के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं । वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग गुजरात राज्य सरकार एवं फिक्की की मदद से इंडिया केम गुजरात का संवर्द्धन करेगा ।

विभाग घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार एवं सम्मेलनों के जरिए उद्योग संघों के प्रयासों को मदद देता है जिससे रसायन एवं पेट्रो-रसायन क्षेत्र का विकास व संवर्द्धन हो । इसमें विकसित रसायन उद्योग और भारतीय उद्योग को अच्छा बाजार देने वालों के साथ विभिन्न देशों में रोड़-शो किए जाएंगे । इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रेता व विक्रेता बैठक भी आयोजित किया जाएगा ।

ii. पीसीपीआईआर के संवर्द्धन के लिए भी कार्रवाई की जाएगी । इसके अतिरिक्त, रसायन/प्लास्टिक हबों के संवर्द्धन जैसे उपायों पर भी विचार किया जाएगा ।

<u>रासायनिक हथियार समझौता (सीडब्ल्यूसी) :</u>

2.26 समझौते के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित रसायनों की गतिविधियां सुनिश्चित करने के लिए समझौते के अधीन आने वाले रासायनिक संयत्रों का निरीक्षण रासायनिक हथियार निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) द्वारा नियमित रूप से की जाती है । भारत में 28.02.2015 तक कुल 184 उद्योग निरीक्षण हुए हैं ।

<u>सीडब्ल्यूसी हेल्प डेस्क :</u>

2.27 सीडब्ल्यूसी के अन्तर्गत अपनी बाध्यताओं के लिए रसायन उद्योग द्वारा अनुपालन को सुकर बनाने के लिए सीडब्ल्यूसी के लिए संगत रसायन उद्योग की संघनता वाले विभिन्न स्थानों पर विभाग ने भारतीय रसायन परिषद (आईसीसी) के सहयोग से पीपीपी मोड़ में 6 हेल्पडेस्क भी स्थापित किए हैं । इन हेल्पडेस्कों के निम्नलिखित लोकेशन एवं कवरेज है:-

तालिका-3

स्थान	शामिल राज्य
हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश, ओड़िसा और छत्तीसगढ़
कोलकाता	पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड और पूर्वोत्तर क्षेत्र
दिल्ली	उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंड़ीगढ़, उत्तराखण्ड एवं जम्मू और कश्मीर
मुम्बई	महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश
चैन्नई	तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक
वड़ोदरा	गुजरात,

निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए हेल्प-डेस्क की स्थापना की गई है:-

i. सीडब्ल्यूसी अधिनियम के अन्तर्गत रसायन उद्योग की प्रतिबद्धताओं के ब्यौरे को शामिल करते हुए एक स्पष्ट विहंगम दृष्टि देते हुए सीडब्ल्यूसी के बारे में सूचना देना ।
ii. उद्योग के सर्वे के माध्यम से संभावित घोषणाकर्ता नई इकाइयों की पहचान तथा घोषणा दायर करने में उनकी सहायता करना ।
iii. सीडब्ल्यूसी अधिनियम के अन्तर्गत यथानिर्धारित प्रोफार्मे में घोषणाएं करने में औद्योगिक इकाइयों की सहायता करना
iv. जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना । 2014-15 के दौरान 15 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं ।

उपरोक्त गतिविधियों के लिए सीडब्ल्यूसी को वर्ष 2015-16 में 1.00 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं ।

<u>सूचना प्रौद्योगिकी/सचिवालय :</u>

2.28 चूंकि वर्तमान में ई-गवर्नेंस सहित सेवा और कार्यालयी कार्य स्वचलीकरण आवश्यक हो गया है इसलिए आवश्यक हार्डवेयर और साफ्टवेयर का प्रापण आवश्यक हो गया है । विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत, विभाग की ई-ऑफिस परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है । इस बाध्यता के अन्तर्गत, आईटी स्वचलीकरण के लिए आने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान निधियों की आवश्यकता होगी । तदनुसार, 1.00 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है ।

2.29 वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान आईटी उन्नयन के लिए निधि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया :

i. आईटी हार्डवेयर की खरीद/प्रतिस्थापन ।
ii. कम्प्यूटर एवं अन्य सामग्री का एएमसी ।
iii. सीडब्ल्यूसी के अधीन वार्षिक घोषणाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए सॉफ्टवेयर में सुधार/संशोधन एवं एएमसी ।
iv. एआर एंड पीजी विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ई-ऑफिस एमएमपी को क्रियान्वित करने के लिए ढांचागत अंतर को पूरा करना ।
v. स्विच्ड इंटरनेट संचार के लिए आईपीवी-4 से आईपीवी-6 में बदलने के लिए लैन/स्विच में सुधार/संशोधन तथा आईपीवी-6 के अनुकूल आईसीटी उपकरणों की खरीद सुनिश्चित करना ।
vi. जीआईजीडब्ल्यू अनुरूप विभाग की वेबसाइट तैयार करना ।

वर्ष 2015-16 के दौरान 1.00 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं ।

<u>पेट्रोरसायन संबंधी जारी स्कीमें :</u>

(i) पेट्रोरसायन एवं डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

2009-10 से योजना के कार्यान्वयन से पुरस्कार दिए जाने के लिए सिपेट को आवेदन प्रोसेस करने का कार्य सौंपा गया है ।

2.30 सिपेट को वर्ष 2014-15 के लिए 1.00 करोड़ रु. का परिव्यय प्रदान किया गया था । 290 नामांकन प्राप्त हुए थे । पुरस्कार समिति की सिफारिश के आधार पर, 16 'विजेता' एवं 14 'उप-विजेताओं' को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण पुरस्कार 2014-15 के लिए नामित किया गया । पुरस्कार प्रदान करने के लिए समारोह 21.02.2015 को बैंगलुरु में आयोजित किया ।

(ii) पॉलीमर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना

2.31 11वीं योजना अवधि के दौरान, निम्नलिखित उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए गए हैं :-

तालिका-4

उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई)	**उद्देश्य/संघटक**
XIवीं योजना	
हरित परिवहन नेटवर्क(ग्रीट) के लिए उत्कृष्टता केन्द्र, सिपेट में टोरंटो विश्वविद्यालय, कनाडा के सहयोग से	क) हल्के वजन एवं पर्यावरण अनुकूल हाइब्रिड ग्रीन कंपोजिट्स ऑटोपार्ट्स की संकल्पना एवं अभियांत्रिकी । ख) आकार एवं ताप की दृष्टि से स्थायी ग्रीन कंपोजिट्स का विकास । ग) रेहोलॉजी, अंतरचरण, कार्यशील पुर्जे एवं सतह अभियांत्रिकी के आधारभूत सूत्र एवं घ) कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, जीवन चक्र विश्लेषण पुन:चक्रण एवं प्रोटोटाइप केन्द्र के इन अनुसंधान गतिविधियों पर 20 पीएचडी छात्र कार्य कर रहे हैं (5 टोरंटो विश्वविद्यालय एवं 15 सिपेट में)
अनुसंधान एवं नवोन्मेषण एवं प्रशिक्षण के माध्यम से अनुकूल पॉलिमर उद्योग के लिए उत्कृष्टता केन्द्र(सीओई स्प्रिट), राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला(एनसीएल), पुणे	(1) अनुसंधान एवं वैज्ञानिक सेवा कार्यक्रम आरएसएसपी-रियेक्टर-स्ट्रक्चर-प्रोपर्टी-रिलेसनशिप (आरएसपीआर) इसमें रियेक्टर मॉडलिंग, प्रोसेसिंग सिम्यूलेटर एंड स्ट्रक्चर डेवलेपमेंट शामिल है: एवं (2) लर्निंग एवं शेयरिंग प्रोग्राम (एलएसपी)

2.32 12वीं पंचवर्षीय योजना में, आईआईटी (दिल्ली), सिपेट (भुवनेश्वर) एवं आईआईटी (गुवाहाटी) में तीन नए उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना को अनुमोदित किया गया है जो निम्न प्रकार हैं :-

तालिका-5

उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई)	**उद्देश्य/संघटक**
XIIवीं योजना	
आईआईटी, दिल्ली में एडवांस पॉलिमेरिक मैटेरियल के लिए उत्कृष्टता केन्द्र	क) नए प्रयोगों के विकास के लिए पॉलिमर नैनो कंपोजिट तैयार करना, इनका चरित्र निर्धारण करना एवं कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना । ख) ईएमआई बचाव प्रयोगों के लिए कंपोजिट आधारित पॉलिमर एवं अन्य सामग्री का विश्लेषण एवं चरित्र निर्धारण । ग) विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगों के लिए सेमी कंडक्टिंग पॉलिमर एवं उनके कंपोजिट का विश्लेषण एवं चरित्र निर्धारण ।
मिशीगन स्टेट विश्वविद्यालय (एमएसयू), यूएसए के साथ सिपेट, भुवनेश्वर में पर्यावरण अनुकूल हरित सामग्री के लिए उत्कृष्टता केन्द्र	चरण - **I** : सब्जियों/पौधों के तेल से (खाद्य योग्य नहीं) से बायो रेसिन । चरण - **II** : नवीकरण स्त्रोतों से उपचारी तंत्र बढ़ाने के साथ जैव आधारित एडहेसिव /कोटिंग सामग्री । चरण - **III** : बायो-रेसिन/पुन: चक्रित प्लास्टिक से ब्लेंड एवं कंपोजिट । 15 पीएचडी विद्यार्थी (एमएसयू में 2 और सिपेट में 13) और एक पोस्ट डॉक्टरेल केन्द्र की अनुसंधान कार्यकलापों में कार्यरत हैं ।
आईआईटी, गुवाहाटी में हरित पॉलिमर के लिए उत्कृष्टता केन्द्र	पेट्रोरसायन एवं नवीकरण जैव ईंधन से अंतिम उत्पाद आधारित जैव अपघटीय पॉलिमर के उत्पादन के लिए लागत प्रभावी एवं अर्थक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करना । 13 पीएचडी विद्यार्थी केन्द्र की अनुसंधान कार्यकलापों में कार्यरत हैं ।

वर्ष 2014-15 के दौरान 6 करोड़ रु. का परिव्यय प्रदान किया गया है । इन उत्कृषटता केंद्रों की भौतिक एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन की समीक्षा के गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर, आईआईटी गुवाहाटी को अगस्त, 2014 में दूसरे किश्त के रूप में सिपेट, भुवनेश्वर को दिसंबर, 2014 में दूसरी किश्त एवं आईआईटी, दिल्ली को तीसरी किश्त के रूप में 2 करोड़ रुपए प्रत्येक को जारी किया गया ।

(iii) प्लास्टिक पार्कों की स्थापना :

इस स्कीम के लिए वर्ष 2014-15 में 50 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई ।

2.33 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के मूल्यांकन के आधार पर, ओड़िशा, मध्य प्रदेश व असम से प्रस्तुत प्रस्तावों को अंतिम रूप से अनुमोदित कर दिया गया है । प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए विभाग ने मध्य प्रदेश (मंडीदीप) में मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क विकास निगम (एमपीपीपीडीसीएल), ओड़िशा (पाराद्वीप) में पाराद्वीप प्लास्टिक पार्क लि. (पीपीपीएल) एवं असम (तिनसुकिया) में असम औद्योगिक विकास निगम (एआईडीसी) प्रत्येक को 8 करोड़ रु. की अनुदान सहायता की पहली किश्त वर्ष 2013-14 में जारी की ।

वर्ष 2014-15 के दौरान 50 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है जोकि मध्य प्रदेश, ओडिशा एवं असम को दूसरी किश्त के रूप में 14 करोड़ रु. प्रत्येक को एवं तमिलनाडु को 8 करोड़ रु. प्रथम किश्त के रूप में जारी किया गया है ।

2.34 तीन पार्कों की स्थिति निम्नानुसार है:

क) मध्य प्रदेश : संपर्क सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य जारी है । संपर्क सड़क का कार्य पैकेज-1 निविदा की ठेका अवधि के उत्रार्ध में शुरू किया जाएगा । पैकेज-1 निविदा के लिए वित्तीय एवं तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन के बाद 25.88 करोड़ रु. की निविदा शीघ्र ही जारी की जाएगी । प्लॉटों के लिए ऑनलाइन आवेदन का कार्य शुरू हो चुका है एवं चार प्लॉट आवंटित कर दिए गए हैं । राज्य सरकार के उच्चतम स्तर के हस्तक्षेप के बाद एसपीवी भूमि के वास्तविक कब्जे के मुद्दे पर वन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार के साथ विवाद को निपटा रहा है ।

ख) ओड़िशा : पीएमसी द्वारा मास्टर प्लानिंग एवं भू-तकनीकी सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है । आंतरिक सड़कों के निर्माण एवं स्थल के विकास/ग्रेडिंग कार्य के लिए 7.46 करोड़ एवं 13.36 करोड़ रु. क्रमश: मूल्य की निविदा आमंत्रण सूचना जारी कर दी गई है । निविदा प्रक्रिया जारी है और कार्य आदेश शीघ्र ही जारी किए जाने की संभावना है । चाहरदीवारी के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 2.09 करोड़ रु. मूल्य का कार्य आदेश ठेकेदार को दिया जा चुका है । जलापूर्ति, जल निकासी एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कार्य(25 करोड़ रु.) के लिए निविदा आमंत्रण सूचना जारी की जानी है । एसपीवी विस्तृत डिजाइनिंग एवं जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग, दूरसंचार/आईटी अवसंरचना एवं लैंडस्केपिंग के लिए 13.34 करेाड रु. की लागत अनुमान को अंतिम रूप दे रहा है ।

ग) असम : स्थल विकास एवं चाहरदीवारी से संबंधित 3.32 करोड़ रु. तथा सड़क नेटवर्क के लिए 1.08 करोड़ रु. मूल्य का कार्य पहले ही प्रदान किया जा चुका है । 32 करोड़ रु. मूल्य के दो निविदा सड़क एवं जल निकासी अवसंरचना के लिए जारी किया गया है और ठेकेदार को कार्य आदेश दिया जाना है । प्रशासन एवं प्रबंधन सहयोग तथा डिजाइन, इंजीनियरिंग एवं सूपरविजन कार्यों के लिए क्रमश: 0.45 करोड़ रु. तथा 1.04 करोड़ रु. का व्यय हुआ है । असम स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड(एएसईबी) ने 20 मेगावाट अपेक्षित विद्युत की आपूर्ति का आश्वासन दिया है ।

सभी राज्यों को समय-सीमा को कम करने एवं पार्कों को 2016 के मध्य तक पूरा करने के लक्ष्य पर कार्य करने की सलाह दी है ।

प्लास्टिक पार्क की स्कीम के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान 51 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है ।

***

अध्याय - III

नीति संबंधी पहल

पेट्रोलियम, रसायन, पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) नीति

3.1 इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल, 2007 में भारत सरकार द्वारा पीसीपीआईआर नीति तैयार की गई थी । इस नीति का उद्देश्य उद्योग की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना था । ऐसे समन्वित पीसीपीआईआर से को-साईटिंग, नेटवर्किंग और आम अवसंरचना और सहायता सेवाओं का उपयोग करके बेहतर कौशल का लाभ उठाया जा सकेगा ।

3.2 नीति में प्रत्येक पीसीपीआईआर में एंकर टीनेंट के रूप मं एक रिफाइनरी/पेट्रोरसायन फीड स्टॉक कंपनी होने का प्रावधान है । भारत सरकार पीसीपीआईआर को रेलवे, सड़क, पोर्ट, हवाई अड्डा एवं दूरसंचार सहित बाह्य भौतिक अवसंरचना संपर्क सुनिश्चित करेगी । ये अवसंरचनाएं सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के माध्यमों से जहां तक संभव हो, सृजित की जाएंगी या उन्नत की जाएंगी । केन्द्र सरकार ऐसी परियोजनाओं को आवश्यक फंडिंग भी करती है जिसे संभाव्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) कहा जाता है तथा इन लिंकेज के सृजन के लिए बजटीय सहायता भी प्रदान करती है ।

3.3 प्रत्येक पीसीपीआईआर की प्रगति तालिका में प्रस्तुत है । चार पीसीपीआईआर में लगभग 33.96 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित होने की संभावना है । 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, पीसीपीआईआर से संबंधित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष गतिविधियों के फलस्वरूप 2.23 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है ।

तालिका - 6 : पीसीपीआईआर की तथ्य शीट (31.12.2014 तक)

संकेतक	गुजरात	आंध्र प्रदेश	ओड़ीशा	तमिलनाडू
स्थान/क्षेत्र	दाहेज, भारुच	विशाखापट्टनम - काकीनाडा	पराद्वीप	कुड्डालोर - नागापट्टिनम
कुल क्षेत्र (वर्ग किमी.)	453	603.58	284.15	256.83
प्रसंस्करण क्षेत्र (वर्ग किमी.)	248	270	123	104
एंकर टीनेंट	ओएनजीसी पेट्रोलियम एडीशन लि.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (एचपीसीएल)	इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. (आईओसीएल)	नागार्जुन ऑयल कॉरपोरेशन लि. (एचओसीएल)
रिफाइनरी/क्रैकर क्षमता एमएमटीपीए में	क्रैकर : इथाइलीन : 1.1 प्रोपाइलीन : 0.6	9.3 से 15 (वर्तमान रिफाइनरियों का विस्तार) 15 (ग्रीनफील्ड)	15 (ग्रीनफील्ड रिफाइनरी)	12 (रिफाइनरी)
प्रस्तावित निवेश (करोड़ रु. में) *	50,000	3,43,000	2,77,734	92,160
किया गया निवेश (करोड़ रु. में)	69,621	36,186	34,730	7,430
संभावित रोजगार (संख्या) *	8,00,000	11,98,000	6,48,000	7,50,000
सृजित रोजगार (संख्या)	78,000	92,000	38,000	13,950

* *परियोजनाओं के अनुमोदन के स्तर के समय*

<u>राष्ट्रीय पेट्रोरसायन नीति :</u>

3.4 वर्ष 2014-15 के दौरान 'पेट्रोरसायन की अन्य नई स्कीमों के लिए 57.50 करोड़ रु. की राशि निम्नानुसार आवंटित की गई है:-

तालिका संख्या. 7

पेट्रोरसायन की अन्य नई स्कीमें

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**योजना**	**आवंटन ब.अ. 2014-15**	**सं.अ. 2014-15**	**ब.अ. 2015-16**
1.	पेट्रोरसायन एवं डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार	1.00	0.85	1.00
2.	पॉलीमर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना (सीओई)	6.00	6.00	2.00
3.	समर्पित प्लास्टिक पार्कों की स्थापना	50.00	22.00	55.00
4.	कार्यक्रम प्रबंधक का शुल्क	0.50	0.19	0.41
5.	योग	57.50	29.04	58.41

***

अध्याय - IV

विगत निष्पादन की समीक्षा

4.1 इस विभाग की योजनाओं को वृहत्त रूप से तीन समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे - (i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं उत्पाद विविधीकरण परियोजनाओं के लिए सहायता (ii) स्वायत्तशासी अकादमिक व अनुसंधान संस्थान सिपेट एवं आईपीएफटी को अनुसंधान एवं कुशलता विकास के लिए सहायता (iii) रसायनिक हथियार समझौता (सीडब्ल्यूसी) के लिए विभागीय प्रोत्साहन/जागरूकता योजनाएँ; केमिकल प्रोमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम (सीपीडीएस), आईटी/सचिवालय आदि । 2007-08 से एक महत्वपूर्ण योजना, जिसे विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, असम के डिब्रूगढ़ जिले के लापेटकाटा में असम गैस क्रैकर परियोजना स्थापित करना है ।

4.2 2013-14 के दौरान स्कीमवार समीक्षा एवं उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

<u>पीसीपीआईआर की क्रियान्वयन की 31.12.2014 की स्थिति</u>

गुजरात पीसीपीआईआर :

- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 में प्रारूप विकास की योजना/मास्टर प्लान संस्तुत की गई थी और वर्तमान में 2 शहर योजनाएं (टीपी) स्कीम क्रियान्वित हो रही हैं ।
- पीसीपीआईआर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिनियम के अधीन किया गया है ।
- गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन**(**जीआईडीसी**)** ने पीसीपीआईआर में अवसंरचना के प्रावधान के लिए 10994 करोड़ रु. खर्च किए है ।
- जल आपूर्ति, पोर्ट एवं सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 12000 करोड़ रु. अतिरिक्त व्यय किया जा रहा है ।
- दाहेज-भरूच राज्य राजमार्ग को दिल्ली - मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे से जोडा जाएगा । अहमदाबाद - बडोदरा राष्ट्रीय राजमार्ग को मुंबई तक बढाने की योजना है ।

- रेल संपर्क एवं कार्गो परिवहन दिल्ली - मुंबई समर्पित फ्रेट कारीडोर (डीएफसी) के साथ उपलब्ध है ।
- ओएनजीसी पेट्रो एडीशन्स लि.(ओपल), एंकर टीनेंट द्वि-ईंधन क्रैकर काम्पलेक्स ओएनजीसी से तथा आयातित एलएनजी से प्राप्त C2/C3 दाहेज एसईजेड में स्थापित कर रहा है जिसकी क्षमता इथाइलीन के लिए 1.1 मिलियन टन/वर्ष (एमएमटीपीए) व प्रोपाइलीन क्षमता 0.6 एमएमटीपीए तथा इतना ही डाउनस्ट्रीम पॉलीमर क्षमता (पॉली इथाइलीन एवं पॉलीप्रोपाइलीन) होगी । कुल प्रस्तावित निवेश 21,396 करोड़ रु. का है । 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, ओपल परियोजना लगभग 93 प्रतिशत पूरी हो चुकी है और परियोजना के जून, 2015 में शुरू होने की संभावना है ।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित संदर्भ बिन्दुओं के अनुसार अंतिम ईआईए रिपोर्ट 2014-15 के अंत तक तैयार हो जाने की आशा है।
- गुजरात पीसीपीआईआर के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए और भविष्य का कदम तय करने के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकन कराया गया है और एक कार्य योजना तैयार की गई है ।

आंध्र प्रदेश पीसीपीआईआर :

- विस्तृत मास्टर प्लानिंग अगस्त, 2013 को प्रकाशित की गई थी और प्राप्त आपत्तियों का निपटारा किया जा रहा है ।
- ईपीटीआरआई ने ईएमपी एवं ईआईए अध्ययन पूरा कर लिया है और वी.के. पीसीपीआईआर एसडीए के समक्ष 22.10.2014 को प्रारूप ईआईए को प्रस्तुत किया और इसे 3.11.2014 को आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया । जन सुनवाई अभी की जानी है ।
- एपीपीसीपीआईआर के अंर्तगत 6 मौजूदा एसईजेड शामिल हैं। इकाइयों ने पहले से ही 34,336 करोड़ रु. का निवेश किया है ।
- अवसंरचना विकास में 1850 करोड़ रू का निवेश किया गया है ।
- वर्ष 2009 में, भारत सरकार ने 1206.80 करोड़ रु. का वित्तीय सहयोग संभाव्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) पीपीपी मोड़ में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अनुमोदित किया है जिसे परियोजनाओं की जरूरतों के नवीनतम आंकलन के आधार पर संशोधित किया जा रहा है । राज्य सरकार ने संशोधित निधि

आवश्यकता को देखते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है ।

- एंकर टीनेंट हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (एचपीसीएल) ने वीके पीसीपीआईआर में मौजूदा रिफाइनरी को 9.3 एमएमटीपीए से बढाकर 15 एमएमटीपीए करने और 15 एमएमटीपीए क्षमता की ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कॉम्पलेक्स स्थापित करने के लिए एचपीसीएल के साथ भागीदार/निवेशकों की पहचान की जा रही है ।
- पेट्रोनेट द्वारा गंगावरण पोर्ट के निकट और गेल एवं शेल द्वारा काकीनाडा पोर्ट पर एलएनजी टर्मिनल बनाए जाने का प्रस्ताव है ।
- सड़क, रेल संपर्क, जलापूर्ति, नि:सारी शोधन एवं समुद्री जल का अध्ययन किया जा रहा है ।

ओडिशा पीसीपीआईआर :

- परियोजना क्रियान्वित करने के लिए पाराद्वीप निवेश क्षेत्र विकास लि. नाम की विशेष उद्देश्य निकाय का गठन किया है ।
- मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है ।
- सड़क परियोजना के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है जिसे मास्टर प्लान के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा ।
- एंकर टीनेंट अर्थात इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. **(**आईओसीएल**)** ने 32,018 करोड़ रु. का निवेश 15 एमएमटीपीए रिफाइनरी और पॉलीप्रोपाइलीन इकाई की स्थापना के लिए किया है । रिफाइनरी परियोजना के जून**,** 2015 तक पूरा हो जाने की संभावना है ।
- 1320 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र एसपीआई पोर्ट्स **(**प्रा.**)** लि. द्वारा स्थापित किए जाने के लिए उच्च स्तरीय अनापत्ति प्राधिकरण(एचएलसीए) का अनुमोदन प्राप्त है । सूरत-पाराद्वीप गैस पारेषण पाइपलाइन **-** जोकि एक अंतर्राज्यीय गैस पारेषण पाइपलाइन है**,** को गेल क्रियान्वित कर रही है तथा एलएनजी टर्मिनल को आईओसीएल क्रियान्वित कर रहा है ।
- आईडीसीओ पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान(ईपीटीआरआई), हैदराबाद के साथ पर्यावरण मूल्यांकन अध्ययन (ईआईए) कराने और पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए परिचर्चा कर रहा है ।

- इडको, विभाग के प्लास्टिक पार्क स्कीम के अधीन पाराद्वीप में प्लास्टिक पार्क का विकास कर रहा है । सरकार की ओर से अंतिम अनुमोदन प्राप्त हो गया है और 8.00 करोड़ रु. की पहली किस्त जारी कर दी है ।
- ठोस अपशिष्ट शोधन एवं निपटान कार्य के लिए अनुबंध देने हेतु बोली प्रक्रिया जारी है ।

तमिलनाडु पीसीपीआईआर :

- 20 फरवरी, 2014 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं । राज्य सरकार ने पीसीपीआईआर के प्रबंधन बोर्ड के गठन का कार्य शुरू किया है । इसके पश्चात, मास्टर प्लानिंग और ईआईए गतिविधियां शुरू की जाएंगी ।
- एंकर टीनेंट नागार्जुन ऑयल कारपोरेशन लि. **(**एनओसीएल**)** ने रिफाइनरी परियोजना में 7812 करोड़ रु. का निवेश किया है ।
- वित्तीय बाधाओं के प्रभाव के कारण, परियोजना के प्रथम चरण के शुरू होने की तिथि बढ़ा दी गई है । इस परियोजना की क्षमता 6 एमएमटीपीए से बढ़ाकर 12 एमएमटीपीए कर दी गई है ।
- कच्चे तेल की प्राप्ति के लिए एकल बिन्दु निगरानी तेल व पेट्रोलियम ईंधन की निकासी के लिए उत्पाद का निर्माण कार्य निमार्णाधीन है और 51% प्रगति दर्ज की गई है ।

<u>सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम :</u>

4.3 हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (**एचओसीएल**): एचओसीएल के पुनरूद्धार का प्रस्ताव सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में अनुमोदित तथा क्रियान्वित किया गया था । एचओसीएल के पुनरुद्धार के लिए अतिरिक्त परिव्यय 250 करोड़ रु. था । एचओसीएल ने वर्ष 2006-07 व 2007-08 में लाभ अर्जित किया तथा वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान हानि अर्जित की और फिर 2010-11 में पुन: लाभ अर्जित किया । तत्पश्चात, 2011-12 से, कंपनी लगातार हानि अर्जित कर रही है और 31.03.2014 तक कंपनी को 705.69 करोड़ रु. की संचयी हानि हुई है । एचओसीएल को 2013-14 में कोई ऋण प्रदान नहीं किया गया था ।

4.4 हिंदुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल): एचआईएल के लिए पुनरूद्धार प्रस्ताव को सरकार ने जुलाई, 2006 में अनुमोदित किया था जिसमें ऋण माफी, बकाया ब्याज की माफी एवं ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना शामिल है । पुनरूद्धार पैकेज के क्रियान्वयन के बाद, एचआईएल लगातार पिछले 8 वर्षों से लाभ अर्जित कर रहा है । एचआईएल ने 2009-10 में 3.06 करोड़ रु., 2010-11 में 1.58 करोड़ रु., 2011-12 में 1.60 करोड़ रु., 2012-13 में 2.92 करोड़ रु. और 2013-14 में 2.50 करोड़ रु. (अलेखांकित) का लाभ अर्जित किया है । एचआईएल को 2013-14 में कोई ऋण प्रदान नहीं किया गया था ।

4.5 हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल): प्रचालन एजेंसी मै. आईडीबीआई के अधीन पुनर्वास पैकेज को बीआईएफआर द्वारा 03.12.2007 को अनुमोदित किया गया था और क्रियान्वयन की प्रक्रिया पूरी कर ली । एचएफएल ने 2009-10 में 3.06 करोड़ रु., 2010-11 में 2.23 करोड़ रु., 2011-12 में 2.52 करोड़ रु., 2012-13 में 94.88 लाख रु. का लाभ अर्जित किया और 2013-14 में 24.82 लाख रु. का हानि अर्जित की है । एचएफएल को 2013-14 में कोई ऋण प्रदान नहीं किया गया था ।

<u>स्वायत्त संस्थान</u> :

सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) :

4.6 <u>2012-13 में दीर्घकालिक कार्यक्रम में 10,542 छात्रों का नामांकन हुआ था जोकि 2013-14 में बढ़कर 11,994 छात्र हो गया ।</u> सिपेट ने राष्ट्रीय कुशलता विकास पहल के अंतर्गत 2011-2022 अवधि के दौरान, 6.20 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है । वर्ष 2013-14 के दौरान, 39,992 छात्रों की लक्ष्य की तुलना में सिपेट द्वारा 39,992 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया है ।

इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी)

4.7 वर्ष 2013-14 के दौरान उद्योग प्रयोजित परियोजना एवं कीटनाशी प्रतिदर्शों के परिक्षणों से आईपीएफटी ने 1.04 करोड़ रु. का राजस्व सृजन किया है ।

<u>विभागीय स्कीमें</u>

केमिकल प्रोमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम (सीपीडीएस):

4.8 इन गतिविधियों के लिए 4.3 करोड रु. आवंटित थे जिसमें से रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर सेमिनारों, सम्मेलनों**,** कार्यशालाओं, अध्ययन एवं प्रदशर्नी के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में 2.86 करोड़ रु. खर्च किए गए ।

रासायनिक हथियार समझौता (सीडब्ल्यूसी):

4.9 इस स्कीम के लिए 2014-15 के दौरान 1.20 करोड़ रु. का आवंटन था । कैलेन्डर वर्ष 2014 के दौरान, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा कुल 25 औद्योगिक निरीक्षण आयोजित किए गए । 2014-15 के दौरान सीडब्ल्यूसी के प्रावधानों के संबंध में 15 जागरुकता कार्यक्रम देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किए गए हैं ।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी योजना)/सचिवालय :

4.10 बजट अनुमान 2013-14 में, आईटी योजना के कार्यान्वयन के लिए 0.70 करोड़ रु. का बजट प्रावधान था । आवंटित राशि का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया है । प्रशासन अनुभाग द्वारा विभाग की आईटी योजना को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर खरीदे गए । विभाग द्वारा ई-ऑफिस भी क्रियान्वित किया जा रहा है **।**

<u>पेट्रोरसायन संबंधी अन्य नई स्कीमें :</u>

4.11 राष्ट्रीय पेट्रो रसायन नीति में परिकल्पित उपायों के क्रियान्वयन के लिए पेट्रो-रसायन क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर कई संभाव्यता अध्ययन किए गए हैं । संभाव्यता अध्ययनों की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने तीन स्कीमें तैयार की हैं जैसे- (क) पेट्रोरसायन एवं डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, (ख) पेट्रोरसायन के क्षेत्र में उत्कृष्टता

केंद्रों(सीओई) की स्थापना, एवं (ग) प्लास्टिक पार्कों की स्थापना, जोकि क्रियान्वयन के अधीन हैं ।

i प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार -

4.12 अभी तक दिए गए राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नानुसार हैं :

तालिका. 8

राष्ट्रीय पुरस्कारों की संख्या

क्र.सं.	वर्ष	विजेता	उप-विजेता
1	2010-11	09	शून्य
2	2011-12	15	10
3	2012-13	11	08
4	2013-14	17	06
5	2014-15	16	14

ii. उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना :

4.13 पूर्व वर्षों की भांति, चयनित उत्कृष्टता केन्द्रों के भौतिक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया । सिपेट, भुवनेश्वर एवं आईआईटी, दिल्ली में स्थापित उत्कृष्टता केन्द्रों की प्रगति की समीक्षा क्रमश: दिसम्बर, 2013 एवं जनवरी, 2014 में की गई थी । विशेषज्ञ समूह की समीक्षा और सिफारिशों के आधार पर, 2-2 करोड़ रु. प्रत्येक की दूसरी किश्त आईआईटी, दिल्ली 20.02.2014 और सिपेट, भुवनेश्वर को 31.01.2014 को प्रदान की गई ।

iii. **प्लास्टिक पार्क :**

4.14 तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम एवं ओड़िसा से प्राप्त चार प्रस्तावों को स्कीम स्टीयरिंग समिति (एसएससी) ने सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही प्रदान कर दी है । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के तैयार करने में विलंब के कारण अंतिम अनुमोदन देने में विलंब को

देखते हुए 2012-13 के लिए चिन्हित निधि का उपयोग नहीं किया जा सका और अंतिम अनुमोदन हेतु डीपीआर जमा करने की समय-सीमा बढ़ा दी गई ।

4.15 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के पश्चात, विभाग ने ओड़िसा, मध्य प्रदेश व असम के प्रस्तावों को अंतिम रूप से अनुमोदित किया । प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए विभाग ने, वर्ष 2013-14 के दौरान मध्य प्रदेश के मंदीद्वीप में मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क विकास निगम (एमपीपीपीडीसीएल), ओड़िसा के पाराद्वीप में पाराद्वीप प्लास्टिक पार्क लि. (पीपीपीएल) एवं असम के तिनसुकिया में असम औद्योगिक विकास निगम (एआईडीसी) प्रत्येक को 8 करोड़ रु. की अनुदान सहायता की पहली किश्त जारी की ।

4.16 वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान योजनागत लक्ष्य एवं उपलब्धियों से संबंधित विवरण अनुबंध-II पर संलग्न है ।

***

अध्याय-V

वित्तीय समीक्षा

5.1 वर्ष 2013-14 (व्यय), 2014-15 के लिए (ब.अ., सं.अ. एवं व्यय) एवं 2015-16 (ब.अ.) के संबंध में योजना-वार परिव्यय एवं व्यय निम्नानुसार है :

तालिका - 9

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	**योजना/कार्यक्रम**	**2013-14**	**2014-15**			**2015-16**
		व्यय	**ब.अनु.**	**सं.अनु.**	**28.02.2015 तक व्यय**	**ब.अनु.**
I	**पीएसयू को परियोजना आधारित सहयोग**	**0.00**	**35.51**	**35.51**	**31.80**	**32.00**
1.1	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल)	0.00	0.01	0.01	0.00	17.00
1.2	हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड लिमिटेड (एचआईएल)	0.00	15.00	15.00	15.00	10.00
1.3	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल)	0.00	20.50	20.50	16.80	5.00
II	**स्वायत्त निकायों को सहायता**	**144.30**	**107.98**	**102.54**	**85.20**	**93.68**
2.1	सेन्ट्रल इन्सटीट्यूट आफॅ प्लास्टिक इन्जीनियरिगं एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	140.96	102.98	100.85	83.52	92.68
2.2	इन्सटीट्यूट आफॅ पेस्टीसाइड फॉरमूलेशन टेक्नोलाजी (आईपीएफटी)	4.34	5.00	1.69	1.68	1.00
III	**अन्य जारी परियोजनाएं**	**1012.79**	**63.51**	**34.95**	**9.25**	**62.32**
3.1	असम गैस क्रैकर योजना+	976.96	0.01	0.01	0.00	0.01
3.2	केमिकल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम (सीपीडीएस)	2.83	4.30	4.00	3.32	1.90
3.3	रसायनिक हथियार समझौता (सीडब्ल्यूसी)	0.96	1.20	1.20	0.86	1.00
3.4	आईटी/सचिवालय	0.70	0.50	0.70	0.48	1.00
3.5	पेट्रोरसायन की अन्य नई योजनाएं	31.34	57.50	29.04	4.59	58.41
	कुल	**1158.09**	**207.00**	**173.00**	**126.25**	**188.00**

+ पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए अनिवार्य प्रावधान शामिल ।

***

अध्याय-VI

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और स्वायत्तशासी संस्थान

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम :

6.1 इस विभाग में रसायन क्षेत्र में तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नामत: हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल), हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड जोकि एचओसीएल की अनुषंगी कंपनी है और हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल) हैं तथा एक पेट्रोरसायन क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड उपक्रम है जो कि असम गैस क्रैकर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है ।

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल)

6.2 कोच्चि इकाई वर्ष भर अपने संस्थापित क्षमता का अधिक-से-अधिक उपयोग करती रही है क्योंकि बीपीसीएल-कोच्चि और एचओसीएल प्लांट के बीच स्थापित पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से कच्चे माल की लगातार आपूर्ति करने के लिए उपाय किए गए, जिससे कंपनी को बाधा रहित उत्पादन कार्य निष्पादन को सुचारू रूप से बनाने में मदद मिली ।

6.3 एचओसीएल उत्पादन लागत कम करने तथा राजस्व को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है । एचओसीएल को पुन: प्रगति के पथ पर लाने के लिए, रसायनी में उपलब्ध भूमि का उपयोग करने के लिए अन्य सरकारी कंपनियों के साथ विलय और/या संयुक्त उद्यम के विकल्प की संभावना भी तलाश रहा है ।

6.4 गत पांच वर्षों के दौरान कंपनी का भौतिक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन निम्नानुसार था :

तालिका-10

एचओसीएल का कार्यनिष्पादन

वर्ष	बिक्री/टर्नओवर(रुपए करोड़ में)	शुद्ध लाभ/हानि(रुपए करोड़ में)
2009-10	520.71	(-) 83.07
2010-11	738.04	(+)25.71
2011-12	606.36	(-)78.07
2012-13	624.19	(-)137.99
2013-14	237.20	(-)176.85

<u>हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड:</u>

6.5 कंपनी बीआईएफआर के अधीन थी । प्रचालन एजेंसी मै. आईडीबीआई के अधीन पुनर्वास पैकेज को बीआईएफआर द्वारा 03.12.2007 को अनुमोदित किया गया था और क्रियान्वयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है । कंपनी ने फ्लूरो स्पेशिएलिटी रसायन के व्यापार में लाभप्रद रूप से प्रवेश किया है और भारत में पहली बार टीएफई-ईथर जैसे फ्लूरो स्पेशिएलिटी रसायन का विकास किया है तथा उन्हें सफलतापूर्वक बेच रहा है । कंपनी के सभी उत्पादों की गुणवत्ता ग्राहकों द्वारा स्वीकार की जा रही है ।

6.6 गत पांच वर्षों के दौरान कंपनी का भौतिक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन निम्नानुसार था:

तालिका-11

एचएफएल का कार्यनिष्पादन

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	कारोबार	शुद्ध लाभ
2009-10	20.23	3.06
2010-11	33.52	2.23
2011-12	50.32	2.52
2012-13	44.48	.095
2013-14	31.34	(-)24.82

<u>हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल)</u>

6.7 एचआईएल ने कृषि क्षेत्र को उचित मूल्य पर गुणवत्ता पूर्ण कीटनाशक की आपूर्ति के लिए सातवें दशक के उत्तरार्ध में कृषि-रसायन के क्षेत्र में विविधिकरण किया था । अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए कंपनी ने अपने व्यापार में बीज व्यापार को और जोड़ा है । कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने फसल व सब्जियों के उत्पादन व प्रमाणित बीजों के विपणन के लिए एचआईएल को नोडल एजेंसी नियुक्त किया है । एचआईएल को एक स्थान कृषि केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए जमीनी कार्य पूरा हो चुका अर्थात दो महत्वपूर्ण कृषि आदान जैसे बीज व कीटनाशक प्रदान करेगा । गत 5 वर्षों के दौरान कंपनी का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार था:

तालिका-12

एचआईएल का कार्यनिष्पादन

(रु. करोड में)

वर्ष	**बिक्री कारोबार**	**(शुद्ध लाभ)**
2009-10	243.88	3.06
2010-11	271.04	1.58
2011-12	279.82	1.60
2012-13	301.11	2.92
2013-14	330.35*	1.84

<u>स्वायत्तशासी संस्थान/संगठन</u>

<u>सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) :</u>

6.8 सिपेट के उद्देश्यों में प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं सहयोगी उद्योगों एवं अनुसंधान के विभिन्न संकायों में मानव संसाधन को प्रशिक्षण देना तथा प्लास्टिक एवं सहयोगी उद्योग को विभिन्न प्रौद्योगिकीय आयामों में तकनीकी सहयोग तथा परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करना शामिल है । संस्थान एससी/एसटी छात्रों, महिला उद्यमियों और ग्रामीण

लघुस्तरीय उद्यमियों के लाभार्थ विशिष्ट क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है । सिपेट 12 विभिन्न दीर्घकालिक कार्यक्रम जैसे डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा, अंडर ग्रैजुएट, पोस्ट ग्रैजुएट एवं पीएचडी आयोजित करता है । 11वीं पंचवर्षीय योजना के अधीन, सिपेट ने विभिन्न दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक कुशलता विकास कार्यक्रमों के जरिए 1,16,638 छात्रों को प्रशिक्षित किया । 12वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 2.2 लाख छात्रों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है ।

<u>इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी)</u>

6.9 संस्थान पर्यावरण अनुकूल कीटनाशकों के फार्मूलेशन के विकास में संलग्न है और कीटनाशक उद्योग के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है । पूंजीगत सहयोग के अधीन नए अवसंरचना के प्रावधान तथा मौजूदा परिसंपत्तियों के उन्नयन, जारी परियोजनाओं को पूरा करने और नई पीढ़ी के फार्मूलेशन के लिए तकनीकी विकास हेतु विभिन्न नई परियोजनाओं को शुरू करने जैसे बायो सांइस तथा विश्लेषक परियोजना, के लिए निधि की आवश्यकता को पूरा करने हेतु संस्थान को 2014-15 के लिए 5.00 करोड़ रु. के राशि आवंटित की गई है ।

***

अनुबंध-I

वार्षिक योजना (2015-16)

मंत्रालय/विभाग का नाम : रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय/रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

परिव्यय और परिणामी बजट/लक्ष्यों पर टिप्पणी

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	वार्षिक योजना 2014-15			मात्रा एवं लक्ष्य	प्रक्रिया/समय-सीमा	टिप्पणी
			जीबीएस	गैर योजना	आईईबीआर			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ.	**पीएसयू को परियोजना आधारित सहयोग**	**32**						
	एचओसीएल	रासायनिक पीएसयू का प्लांट एवं मशीनरी उन्नयन	17					
	एचआईएल	रासायनिक पीएसयू का प्लांट एवं मशीनरी उन्नयन	10					
	एचएफएल	रासायनिक पीएसयू का प्लांट एवं मशीनरी उन्नयन	5					

ब.	**स्वायत्तशासी निकायों को सहयोग**							
1.	सिपेट		92.68					
	भोपाल(मध्य प्रदेश) में वीटीसी की स्थापना	घरेलू अनुसांधान एवं उद्योग को प्रौद्योगिकी सेवा प्रदान करने के साथ-साथ प्लास्टिक एवं सहयोगी उद्योग को योग्य मानव संसाधन प्रदान करने के लिए प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष पाठ्यक्रम संचालित करना				1. वर्ष 2014-15 में 12629 छात्रों की वास्तविक नामांकन की तुलना में दीर्घावधि पाठ्यक्रमों में वर्ष 2015-16 में 13743 छात्रों के नामांकन का लक्ष्य रखा गया है । 2. वर्ष 2014-15 में अल्पावधिक पाठ्यक्रमों के 30,500 छात्रों की वास्तविक संख्या की तुलना में वर्ष 2015-16 के लिए 38,500 छात्रों के नामांकन का लक्ष्य रखा गया है । 3. निधि का उपयोग - भवनों के निर्माण के लिए मशीनरी/उपकरणों की खरीद एवं अन्य डिलीवेरेबल्स	12वीं पंचवर्षीय योजना(2012-17) में कुल योजना आधार पर नई स्कीमें अनुमोदित की गई हैं । स्कीमों के समानुपातिक हिस्से को बजट वर्ष 2015-16 अर्थात 1 वर्ष की अवधि में क्रियान्वित किया जाना है।	सिपेट को निधि आवंटित किए जाने के बाद स्कीम के क्रियान्वयन में आमतौर पर कोई जोखिम के तत्व नहीं हैं ।
	हैदराबाद(तेलांगना) में एचएलसी/वीटीसी की स्थापना							
	विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) में वीटीसी की स्थापना							
	बड्डी(हिमाचल प्रदेश) में वीटीसी की स्थापना							
	उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास							

	सिपेट केंद्रों के विस्तार के लिए सिविल एवं तकनीकी अवसंरचना का सृजन							
	मौजूदा एवं नए शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में छात्रों के नामांकन क्षमता को बढ़ाने के लिए छात्रावास सुविधाओं का सृजन							
	उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तकनीकी अवसंरचना सुविधाओं एवं क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना ।							
2	आईपीएफटी	पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलोजी को उन्नत करना	1.00			उन्नत कीटनाशक फार्मूलेशन के विकास के लिए आईपीएफटी को सुदृढ़ करने के लिए नए उपकरण एवं प्रयोगशाला के रूप में अवसंरचना प्रदान करना ।	जारी	तार्किककरण एवं मूल्यांकन के लिए विधिवत प्रक्रिया अपनाने के बाद नए उपकरणों के साथ मौजूदा उपकरणों का उन्नयन

स	विभागीय स्कीमें							
1	सीपीडीएस	भारतीय रसायन उद्योग के संवर्द्धन के उपाय	1.9			1.इंडिया केम गुजरात-2015 2.विशेष रसायन सम्मेलन 3.अन्य रसायन एवं पेट्रोरसायन सम्मेलन/कार्यशाला 4.निमार्ण रसायन 5.हरित रसायन 6.रोटरडैम कन्वेंशन 7.स्टॉकहोम कन्वेंशन 8.रसायन सुरक्षा एवं संरक्षा रेटिंग 9.स्वास्थ्य, सुरक्षा, संरक्षा एवं पर्यावरण		
2	सीडब्ल्यूसी	भारतीय रसायन उद्योग द्वारा सीडब्ल्यूसी समझौतों का अनुपालन	1			सीडब्ल्यूसी संबंध 15 जागरुकता कार्यशालाएं एवं 6 सीडब्लयूसी हेल्थ डेस्क को जारी रखना ।	देश भर में विभिन्न स्थानों पर 20 जागरुकता कार्यक्रम वर्ष 2015-16 में आयोजित किए जाने की योजना है । पीपीपी मोड में भारतीय रसायन परिषद द्वारा स्थापित सीडब्ल्यूसी हेल्प डेस्क को भारत सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है ।	

3	आईटी/सचिवालय	विभाग में मौजूदा आईटी सुविधाओं के उन्नयन के लिए कम्प्यूटरीकरण गतिविधियां ।	1			पुराने कम्प्यूटरों को बदलने, कम्प्यूटर कंज्यूमेबल्स की खरीद, जीआईजीडब्लयू अनुपालन योग्य वेबसाइट तैयार करने और पुराने एलएएन को बदलने के लिए योजना परिव्यय ।	जारी गतिविधि	
4.	असम गैस क्रैकर परियोजना	2,20,000 टीपीए इथाइलीन व एलएलडीपीई/एच डीपीई व 60,000 टीपीए पॉलीप्रोपाइल का उत्पादन 8920 करोड़ रु. की संशोधित लागत पर दिसम्बर, 2013 में शुरू करने का लक्ष्य है । (परियोजना लागत एवं प्रारंभन तिथि को संशोधित करने का प्रस्ताव है)	0.01			परियोजना के शुरू होने से डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग में निवेश होगा और क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से रोजगार के अवसर सृजित होंगे ।	वर्ष 2015-16 में, सभी प्रमुख कार्य/ गतिविधियां/सुविधाएं जिसमें सिविल व ढांचा कार्य, मैकेनिकल व पाइपिंग कार्य, प्रोसेस इकाई पूरे हो जाएंगे ।	2013-14 तक पूंजी सब्सिडी की संपूर्ण 4690 करोड़ रु. जारी कर दी गई है । बीसीपीएल ने 9820 करोड़ रु. की परियोजना लागत को संशोधित करने का प्रस्ताव रख है । एजीसीपी के लिए पूंजी एवं फीडस्टॉक सब्सिडी की आवश्यकता, पीआईबी की सिफारिश के उपरांत और सीसीईए के अनुमोदन के पश्चात 2015-16 में अनुपूरक अनुदान सहायता द्वारा निधियन के लिए प्रक्षेपित की जाएगी ।

5.	पेट्रोरसायन की अन्य नई योजनाएं		58.41					
	पेट्रोरसायन एवं डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग में नवोन्मेषण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्कीम	पेट्रोरसायन एवं डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में मेधावी नवोन्मेषण व संस्थानों को प्रोत्साहित करना				पॉलीमर मैटेरियल/उत्पाद, प्रोसेसिंग, मशीनरी, पुन:चक्रण/अपशिष्ट प्रबंधन एवं संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान करने व उन्हें मान्यता देने व आर एंड डी पहल को बढ़ावा देने को प्रोत्साहित करने के लिए 8 श्रेणियों में मेधावी नवोन्मेषण के आविष्कार का चयन	संगठन/संस्थान/व्यक्तियों के चयन के पश्चात पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे । पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे । सिपेट को आवेदनों के प्रोसेसिंग का कार्य सौंपा गया है और इसके लिए निधि चिन्हित की जाएगी ।	
	पॉलीमर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना	देश में मौजूदा पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान को सुधार करना तथा पॉलीमर एवं प्लास्टिक के नए अनुप्रयोगों के विकास को संवर्द्धित करना ।				12वीं योजना में सीओई की स्थापना के लिए चुनिंदा संस्थानों की प्रगति की निगरानी करना एवं निधि जारी करना । इसके अतिरिक्त एनसीएल, पुणे एवं सिपेट, चेन्नई की प्रगति की निगरानी भी की जाएगी ।	इन उत्कृषटता केंद्रों की भौतिक एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन की समीक्षा के गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर, आईआईटी गुवाहाटी को अगस्त, 2014 में दूसरे किश्त के रूप में सिपेट, भुवनेश्वर को दिसंबर, 2014 में दूसरी किश्त एवं आईआईटी, दिल्ली को तीसरी किश्त के रूप में 2 करोड़ रुपए प्रत्येक को जारी	

							किया गया । आईआईटी, गुवाहाटी को 2.00 करोड़ रुपए तीसरी किश्त वर्ष 2015-16 में जारी की जाएगी।	
	समर्पित प्लास्टिक पार्कों की स्थापना	इस क्षेत्र को मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ाने तथा अर्थव्यवस्था में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए अपेक्षित उन्नत अवसंरचना के साथ आवश्यकता आधारित प्लास्टिक पार्क एवं इको सिस्टम की स्थापना एवं सामान्य सुविधाओं में मदद करना ।				मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं असम में प्लास्टिक पार्कों की दूसरी तथा तीसरी किश्त के लिए 14 करोड़ रु. x 3= 42 करोड़ रुपए तमिलनाडु एवं एक नए प्लास्टिक पार्क की पहली किश्त के लिए 8 करोड़ रु. x 2= 16 करोड़ रुपए की आवश्यकता की तुलना में 55 करोड़ रुपए अभी आवंटित किए गए हैं । क्रियान्वयन की प्रगति को देखते हुए अतिरिक्त निधि अनुपूरक अनुदान के रूप में वर्ष 2015-16 में जारी किया जाएगा ।	12वीं एवं 13वीं योजना अवधि के दौरान 10 प्लास्टिक पार्कों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था । 12वीं एवं 13वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रस्तावित बजट 400 करोड़ रुपए अर्थात् प्रत्येक समर्पित पार्क के लिए 10 करोड़ रुपए है । तदनुसार वर्ष 2015-16 के लिए 58 करोड़ रुपए को अनुदान-सहायता की आवश्यकता थी । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, डीपीआर के मूल्यांकन के आधार पर विभाग ने तमिलनाडु में चौथे प्लास्टिक पार्क की स्थापना अंतिम अनुदान प्रदान किया । मध्य प्रदेश, असम एवं ओडिशा में चिन्हित मानदंडों की तुलना में प्लास्टिक पार्कों की	स्थायी वित्त समिति, एसएफसी ने देश में 12वें एवं 13वें योजना अवधि में 10 प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की सिफारिश की जिसमें मौजूदा 4 प्लास्टिक पार्क शामिल हैं । सक्षम प्राधिकारी ने इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है ।

							स्थापना की निगरानी की जाएगी । प्रगति एवं निधि के उपयोग के आधार पर मध्य प्रदेश, असम एवं ओडिशा को जारी अनुदान सहायता को इसकी तीसरी किश्त जारी की जाएगी । 6 अतिरिक्त प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के अनुमोदन के पश्चात, राज्य सरकारों में प्रारंभिक प्रस्ताव मंगवाई जाएगी और उनकी जांच की जाएगी । डीपीआर प्रस्तुत किए जाने और स्कीम के अंतिम अनुमोदन के आधार पर, वर्ष 2015-16 में 8 करोड़ रुपए की पहली किश्त के साथ एक और प्लास्टिक पार्क को क्रियान्वित करने का कार्य शुरू किया जाएगा ।	
	कार्यक्रम प्रबंधन शुल्क	कार्यक्रम प्रबंधक को भुगतान जारी करना				प्लास्टिक पार्क स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम प्रबंधकों के निकायों का भुगतान करना ।	प्लास्टिक पार्क स्कीम के क्रियान्वयन के लिए परामर्शदाताओं को भुगतान करना ।	

	भोपाल गैस रिसाव त्रासदी						मुआवजे के भुगतान (अनुग्रह) और भोपाल गैस कल्याण आयुक्त के सचिवालीय व्ययों के लिए गैर प्लान व्यय	
	योग		**188**		**0**			
	जीबीएसः सकल बजटीय समर्थन							

अनुबन्ध-II

योजना के लक्ष्य एवं उपलब्धियां 2013-14 और 2014-15

(करोड़ रु. में)

योजना/कार्यक्रम	2013-14 (व्यय)	2014-15 (ब.अ.)	2014-15 (सं.अ.)	लक्षित परिणाम	उपलब्धि
1.मौजूदा पीएसयूज को सहयोग					
एचओसीएल	0.00	0.01	0.01	एचओसीएल को वर्ष 2014-15 में कोई निधि प्रदान नहीं की गई थी	शून्य
एचआईएल	0.00	15.00	15.00	एचआईएल को 4 करोड़ रु. प्रदान किया है और कोच्चि इकाई के एंडोसल्फान संयत्र के नवीकरण के द्वारा खर पतवार के नाश के लिए उपयोग में आने वाले बह्आयामी ग्लाइफोसेट (टेक) के विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की योजना बना रहा है । कंपनी मौजूदा संचालित संयत्र द्वारा उत्पादित डिकोफोल को उच्च स्वच्छता वाले डिकोफोल को कोच्चि इकाई में विनिर्मित करने की योजना बना रहा है । डिकोफोल एक दीमकनाशक है जो	एचआईएल उत्पाद के विविधीकरण और लाभ अर्जन में सक्षम होगा ।

				रेड स्पाइडर दीमक के मामले में बहुत प्रभावी है । भटिंडा इकाई में, कंपनी सस्पेंशन कन्सनट्रेट (एससी) फॉर्मूलेशन प्लांट स्थापित करना चाहता है और बुर्पोफेज़िन (टेक) संयत्र शुरू कर दिया है । रसायनी इकाई में, मौजूदा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर जो कि अच्छी स्थिति में नहीं है और जीर्ण हो गया है, को बदलने की योजना बन रही है । इस संयत्र में कार्यशील लागत को बचाने के लिए लोड के आधार पर संचालित किये जा सकने के लिए एक ही क्षमता के मल्टी सेल व्यवस्था होगी । विभाग ने कंपनी को जोकि पेंडीमेथाइलीन के निर्माण की योजना बना रहा है, के लिए 11 करोड़ रु. प्रदान किया गया है ।	
एचएफएल	0.00	20.50	20.50	एचएफएल ने विशेष पीटीएफई अर्थात संशोधित पीटीएफई के विकास का कार्य शुरू किया है और विभाग ने मौजूदा तंत्र में	इससे कंपनी को निकट भविष्य में लाभ अर्जित करने और कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी ।

				कुछ संशोधन के साथ इस उत्पाद के विनिर्माण के लिए कंपनी को 3.60 करोड़ रु. का योजनागत ऋण प्रदान किया है ।विभाग द्वारा कंपनी को स्कीमों को क्रियान्वित करने के लिए एचएफपी एवं एफईपी परियोजनाओं के नवीकरण के लिए 13.20 करोड़ रु. का योजनागत ऋण प्रदान किया गया है । इससे कंपनी को निकट भविष्य में लाभ अर्जित करने और कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी ।	
2. सेन्ट्रल इंस्टीटयूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी	140.96	102.98	100.86	प्लास्टिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	वर्ष 2014-15 में दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में कुल 12,629 छात्रों का नामांकन हुआ । सिपेट अपने दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए 42,900 छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है । शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य के लिए कम्प्यूटर, हार्डवेयर/ साफ्टवेयर, उपकरण आदि की खरीद के साथ-साथ सिविल संरचना के सृजन का कार्य योजनानुसार चल रहा है ।

3. इंस्टीटयूट ऑफ पेस्टिसाइड्स फार्मूलेशन्स टेक्नोलाजी	4.34	5.00	1.68	पेस्टिसाइड फार्मूलेशन प्रौद्योगिकी में नवीकरण को संवर्द्धित करना	आईपीएफटी वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान ओपीसीडब्ल्यू के लिए 'चिह्नित प्रयोगशाला' बना रहा है । आईपीएफटी 2008 से आईएसओ - 17025 (2005) के अनुसार नेशनल एक्रीडीटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरट्रीस (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है । संस्थान ने कई सारे उपयोगकर्ता एवं पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक फार्मूलेशन विकसित किए हैं और भारतीय कृषि रसायन उद्योग को वाणिज्यक उद्देश्य के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण किया है जिसमें तुर्की की एक कंपनी मैसर्स एन्तासोव को दो प्रौद्योगिकी शामिल हैं । संस्थान पांच आरएंडडी परियोजनाओं जा कि रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा अनुमोदित हैं पर कार्य करने के साथ-साथ ओपीसीडब्ल्यू, डीएसटी एवं डीआरडीओ द्वारा अनुमोदित अनुदान सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर भी कार्य कर रहा है । आईपीएफटी ने जैव-प्रभाविकता, फाइटोटॉक्सिसीटी एवं रेसिडिव एनेलिसिस संबंधी आंकड़ों के सृजन से संबंधित 34 उद्योग प्रायोजित परियोजनाएं वर्ष 2013-14 में सीआईबी/आरसी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए पूरा किया है । सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए शैक्षणिक संस्थानों जैसे आईआईटी, कानपुर, आईएआरआई, तमिलनाडु कृषि

					विश्वविद्यालय (टीएनएयू) एवं शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसकेयूएएसटी), जम्मू के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया । घरेलू उत्पादों के दीर्घकालीन परीक्षण के लिए मैसर्स इन्डोफिल, गोदरेज एग्रोवेट, नागार्जुन, सल्फर मिल्स एवं मैसर्स लैम्ब्रेटी हाइड्रोकोलाइड्स के साथ गोपनियता समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है । आईपीएफटी ने उद्योग एवं शिक्षा के क्षेत्र से विभिन्न स्टेकधारकों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें तीन विदेशी प्रशिक्षुक(ऑस्ट्रेलिया, तुर्की एवं मिश्र से एक-एक प्रशिक्षु) शामिल हैं । आईपीएफटी ने कीटनाशकों के सुरक्षित एवं उचित उपयोग के बारेमें किसानों को जागरुककरने के बारे में कई गतिविधियां आयोजित की हैं । आईपीएफटी को फिक्की, केमीकल एंड पेट्रोकेमिकल सस्टेनेबिलिटी आवार्ड, इंडिया-केम 2013 के दौरान जोकि गांधी नगर में 24 से 26 अक्टूबर, 2013 को आयेाजित किया गया था में रसायन क्षेत्र में उत्कृष्ट हरित उत्पाद के लिए प्रदान किया गया । आईपीएफटी को वर्ष 2011-12 के दौरान राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य के लिए हिन्दी सलाहाकर समिति की बैठक में भुवनेश्वर में 17 मई, 2013 को पुरस्कृत किया गया । निदेशक,

					आईपीएफटी को ओपीसीडब्ल्यू के वैज्ञानिक बोर्ड केसदस्य के रूप में जनवरी, 2014 से तीन वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है ।
4. असम गैस क्रैकर परियोजना	976.96	0.01	0.01	लापेतकाटा, डिब्रूगढ़ (असम) में पेट्रोरसायन परिसर की स्थापना	संशोधित लागत अनुमान के अनुसार, परियोजना के लिए भारत सरकार के योगदान के रूप में परियोजना लागत 8920 करोड़ रु. की तुलना में 4690 करोड़ रु. की पूंजी सब्सिडी प्रदान की । 15.01.2015 की स्थिति के अनुसार, परियोजना की सम्पूर्ण भौतिक प्रगति की स्थिति 99.3 प्रतिशत है और निर्माण प्रगति 98.2 प्रतिशत है । 91.67 प्रतिशत की वित्तीय प्रगति के साथ परियोजना पर 8177.00 करोड़ रु. का व्यय हुआ है । इस परियोजना के लिए 9175.00 करोड़ रु. की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता है ।
5. केमिकल प्रोमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम (सीपीडीएस)	2.86	4.30	4.00	संवर्द्धनात्मक क्रियाकलाप प्रदर्शनी सेमीनार अनुसंधान एवं विकास आदि	रसायन एवं पेट्रोरसायन के क्षेत्र में विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं प्रशिक्षण अध्ययन एवं प्रदर्शनी आदि के प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए गए ।
6. रासायनिक आयुध समझौता (सीडब्ल्यूसी)	0.96	1.20	1.20	सेमिनार एवं प्रचार के जरिए जागरूकता सृजन	भारत में 31.12.2014 तक 181 निरीक्षण हुए हैं।भारतीय रसायनिक परिषद (आईसीसी) के सहयोग से पीपीपी मोड में हेल्पडेस्क बड़ोदरा, नवी मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता तथा नई दिल्ली में स्थापित किए गए हैं, ताकि सीडब्ल्यूसी के अधीन बाध्यताओं को रसायन उद्योग अनुपालन सुनिश्चित कर सकें । रसायन एवं पेट्रोरसायन के लिए आंकड़ो का ऑनलाइन प्रवाह तथा घोषणाकर्ता द्वारा सीडब्ल्यूसी रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने की प्रणाली एनआईसी

					द्वारा क्रियान्निवित की जा रही है । 2015 के लिए संभावित गतिविधियों के लिए वार्षिक घोषणा(एडीडीए) 05.09.2014 एवं द्वितीय घोषणा अर्थात पूर्व गतिविधियों की वार्षिक घोषणा (एडीपीए) 2014 भी 25.02.2015 को ऑन लाइन दायर की गई ।
7.आईटी/सचिवालय	0.70	0.50	0.70	कम्प्यूटर ढांचा का निर्माण, इंटरनेट कनेक्टीविटी को उन्नत करना, लैन का विस्तार, ऑफिस ऑटोमेशन प्रणाली के साथ-साथ वेब आधारित तंत्र का विकास	पूराने कम्प्यूटरों को नए कम्प्यूटरों से बदला गया, कम्प्यूटर खपत की मदें खरीदी गईं, लेजर प्रिंटर विभाग में प्रदान किए गए वर्ष के दौरान लैन का विस्तार किया गया ।
8.पेटोरसायन की अन्य नई योजनाएं	31.34	57.50	29.04	तीन योजनाएं अर्थात (i) पेट्रो-रसायन और डाऊनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी नवोन्मेष के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार; (ii) पेट्रो-रसायन के क्षेत्र में उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) की स्थापना तथा (iii)प्लास्टिक पार्कों की स्थापना को क्रियान्वित करना ।	2014-15 के लिए 290 नामांकन प्राप्त हुए थे । पुरस्कार समिति की सिफारिश के आधार पर, 16 'विजेता' एवं 14 'उप-विजेताओं' को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण पुरस्कार 2014-15 के लिए नामित किया गया । पुरस्कार प्रदान करने के लिए समारोह 21.02.2015 को बैंगलुरु में आयोजित किया ।
					वर्ष 2014-15 के लिए 6 करोड़ रु. का परिव्यय प्रदान किया गया है । इन उत्कृषटता केंद्रों की भौतिक एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन की समीक्षा के गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर, आईआईटी गुवाहाटी को अगस्त, 2014 में दूसरे किश्त के रूप में सिपेट, भुवनेश्वर को दिसंबर, 2014 में दूसरी किश्त एवं आईआईटी, दिल्ली को तीसरी किश्त के रूप में 2 करोड़ रुपए प्रत्येक को जारी किया गया ।

					विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के आधार पर विभाग ने तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम व ओड़िशा प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को अंतिम रूप से अनुमोदित किया । प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए विभाग ने, वर्ष 2013-14 के दौरान मध्य प्रदेश के मंदीद्वीप में मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क विकास निगम (एमपीपीपीडीसीएल), ओड़िसा के पाराद्वीप में पाराद्वीप प्लास्टिक पार्क लि. (पीपीपीएल) एवं असम के तिनसुकिया में असम औद्योगिक विकास निगम (एआईडीसी) प्रत्येक को 8 करोड़ रु. की अनुदान सहायता की पहली किश्त जारी की ।
9.पूर्वोत्तर के लिए प्रावधान	*	*	*	पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए	
कुल	**1158.12**	**207.00**	**173.00**		

* असम गैस क्रैकर परियोजना में पहले से शामिल